भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 387
जिसका उत्तर बृहस्पतिवार, 23जुलाई, 2015 को दिया जाना है

लोक क्षेत्र उपक्रमों के कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

387. श्री पलवई गोवर्धन रेड्डीः

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पांच लोक क्षेत्र उपक्रमों के 2,800 कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो जिन कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिए जाने का प्रस्ताव है, उनकाकंपनी-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उपरोक्त स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के माध्यम से कितने मूल्य की परिसम्पत्ति मुक्त होने की संभावना है; और

(घ) उन परिसम्पत्तियों का किस प्रकार उपयोग किए जाने की संभावना है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोकउद्यम राज्य मंत्री
(श्री जी. एम. सिद्देश्वर)

(क) और (ख): जी, हां। सरकार ने लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों में छूट देते हुए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के पांच उद्यमों को बंद करने और इसके कर्मचारियों को आकर्षक वीआरएस पैकेज देने का अनुमोदन किया है। ब्यौरा निम्नवत है:

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	01.05.2015 के अनुसार कर्मचारियों की संख्या
एचएमटी बेयरिंग्स लिमिटेड	55
एचएमटी वाचिज लिमिटेड	1004
एचएमटी चिनार वाचिज लिमिटेड	31
तुंगभद्रा स्टील प्रॉडक्ट्स लिमिटेड	75
हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड	1517
	योग 2682

(ग) और (घ): केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपर्युक्त उद्यमों की चल परिसंपत्तियां जैसे संयंत्र तथा मशीनरी, फर्नीचर और जुड़नार, वाहन आदि की या तो नीलामी हो जाएगी या केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के धारक/सहायक/संबद्ध उद्यमों या सरकार/ सरकार के नियंत्रणाधीन निकायों को हस्तांतरित कर दी जाएगी। अचल परिसंपत्तियां जैसे भूमि और/ या भवनों को केन्द्र/ राज्य सरकार या केवल केन्द्र/ राज्य सरकार की इकाइयों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमोंको संबंधित उद्यम की पट्टे/स्वामित्व की शर्तों के आधार परहस्तांतरित की जाएंगी।

******